भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5710

27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना

5710. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की सहायता से नए चिकित्सा महाविद्यालय अथवा नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सभी जिलों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन राज्यों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कोई नई पहल शुरू की गई है;

(ङ.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से सहबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना' के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें उन अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे की व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश में चौदह (14) महाविद्यालयों और महाराष्ट्र में दो (02) चिकित्सा महाविद्यालयों सहित देश भर में 157 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए "नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना-चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ-साथ नए नर्सिंग कॉलेजों (सीओएन) की स्थापना" हेतु एक सीएसएस भी कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्रमशः छह (06) और चौदह (14) नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी जा चुकी है।

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। यह योजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लागू की गई है।

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। तथापि, यह मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की व्यापक अम्ब्रेला स्कीम के तहत, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इन योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों/उठाए गए कदमों में निम्नलिखित उपाय/कदम शामिल हैं:-

i. उन अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, जिला/रेफरल अस्पतालों को उन्नत बनाकर नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सीएसएस योजना। योजना के तहत, देश भर में परिकल्पित सभी 157 चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी दे दी गई है।

ii. एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मौजूदा चिकित्सा महाविद्यालय को सुदृढ़ बनाने/उन्नत करने के लिए सीएसएस जिसके तहत 5972.20 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के साथ 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटों, 1498.43 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के साथ 72 कॉलेजों में चरण-I में 4058 पीजी सीटों और 4478.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ 65 कॉलेजों में चरण-II में 4000 पीजी सीटों की वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की गई है।

iii. इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने हाल ही में राज्य सरकार/केंद्र सरकार के अधीन विद्यमान मेडिकल कॉलेजों/स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों/सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु केन्द्रीय

प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तृतीय चरण को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत 5,000 स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि का प्रावधान किया गया है तथा प्रति सीट अधिकतम लागत सीमा ₹1.50 करोड़ निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, स्नातक स्तर पर विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित योजना का विस्तार करते हुए 5,023 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि हेतु प्रति सीट अधिकतम लागत सीमा निर्धारित की गई है। दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन की समय-सीमा वित्त वर्ष 2028–29 तक निर्धारित की गई है।

iv. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के "सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन" घटक के तहत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

v. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 एम्स में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं।

vi. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत निम्नलिखित कार्यों i) बीमारियों का शीघ्र पता लगाने के लिए गांवों और शहरों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सुदृढ़ बनाना; ii) जिला स्तरीय अस्पतालों में गहन परिचर्या संबंधी नए बिस्तर शामिल करना; और iii) सभी जिलों में एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
